

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी.
स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है
ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता
नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी, मधुवा

आज पत्रावली पेश हुई। वकील
उभय पक्ष उपस्थित। बहस कुन्नी गयी।
आदेश दि. 4.7.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, मधुवा

दिनांक 04-07-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी.
स्वीकार किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जा चुका है
ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता
नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल शुमार होकर मूल वाद रहे।

आदेशसुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मधुवा (जिला दौरा)